

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती है कि वे भारत को जिन किसी लोक-दोक के स्वतंत्र रूप से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी खतरनाक और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM OR HER EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.


भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से
BY ORDER OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA



डॉ. ई. विष्णु वर्धन रेड्डी, F.S.
DR. E. VISWANU VARDHAN REDDY, F.S.
क्षेत्रीय वारंट ऑफिसरी
Regional Passport Officer
क्षेत्रीय वारंट कार्यालय
Regional Passport Office
हैदराबाद/HYDERABAD

S. VISWANU

पासपोर्ट
PASSPORT



सत्यमेव जयते

भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA

निर्देशिका / OBSERVATION

विभिन्न सेवा / MISCELLANEOUS SERVICE



R4166719

Name of Father / Legal Guardian
NARENDAR MURARISHETTY

Name of Mother
MEENARANI MURARISHETTY

Name of Spouse

Address
PLOT NO 47, SRI SHAKTHI NAGAR

KARMANGHAT, RANGAREDDY

PIN: 500097, TELANGANA, INDIA

Old Passport No. with Date and Place of Issue

File No.
HY1060711027517



पुस्तकीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित भारतीय मिशन/केन्द्र में अपना पंजीकरण करावाएँ।

चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से पूराके धारक को यह कहें सूचना मिलती है जिससे पासपोर्ट लौटाने की बात भी शामिल है तो अपना तुरंत अनुपालन किया जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा यह पासपोर्ट जमा किया भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्रमाणित व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार का देवदारन या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट गुप्त हो जाने, खोने हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में सबसे निम्नलिखित पासपोर्ट अधिकारी को अवगत यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निम्नलिखित भारतीय मिशन/केन्द्र और स्थानीय पुलिस को तत्काल ही जाननी चाहिए। विदेशी प्रमाणों के बाद ही द्वितीयक पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORIZED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY. LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.